न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 103/2017

श्री रामपाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मण, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम बड़ा आसर, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर

.............*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बिजयनगर जिला अजमेर

..........*रेस्पोन्डेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–15.02.2023

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2073 में श्री रामपाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण उफ लक्ष्मण, ब्राम्हण, निवासी ग्राम बड़ा आसन, तहसील बिजयनगर ने ग्राम बड़ा आसन के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 348/496 रकबा 00–07–00 बीघा किस्म गैर मु0 रास्ता में से रकबा 00–03–10 बीघा पर अनाधिकृत रूप से तारबन्दी कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार बिजयनगर के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 405/2016 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 20.07.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ अन्य सामग्री को जब्त करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 20.07.2017 से क्षुब्ध होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम बड़ा आसन स्थित आराजी साबिक खसरा संख्या 186 रकबा 06–00–00 बीघा हाल खसरा संख्या 389 मिन रकबा 05–17–00 बीघा, खसरा संख्या 348/496 रकबा 00–03–00 बीघा, साबिक खसरा संख्या 187 रकबा 03–14–00 बीघा हाल खसरा संख्या 348 रकबा 03–12–00 बीघा, खसरा संख्या 348/496 रकबा 00–02–00 बीघा,

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

साबिक खसरा संख्या 188 हाल खसरा संख्या 344 रकबा 03–05–00 बीघा, खसरा संख्या 348/496 रकबा 00–02–00 बीघा एवं खसरा संख्या 345 रकबा 00–00–10 बीघा के अपीलांट एवं उसके सहखातेदार खातेदार काश्तकार हैं व आराजीयात पर उनका कब्जा चला आ रहा है। भू–प्रबन्ध के दौरान सम्वत 2028 में बिना किसी जांच एवं अपीलान्ट को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये विवादित आराजी के तीनों खसरा नंबर में से 00–07–00 बीघा भूमि रास्ता व पगडंडी के लिये निकाली गई। उक्त रास्ता निकालने के संदर्भ में अपीलान्ट के पूर्वज श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा भू–प्रबन्ध ब्यावर के समक्ष दिनांक 25.06.1977 को आपत्ति व रेकॉर्ड दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट चाही गई किन्तु राज्य सरकार द्वारा तरमीम व भू–संशोधन की कार्यवाही को मान्यता प्रदान नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र पर कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया। इस कारण विवादित आराजी को सिवायचक मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत धारा 91 की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करते हुए आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। उनका कथन है कि अपीलान्ट को नोटिस प्राप्त होने पर वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे एवं दिनांक 09.03.2016 को जवाब प्रस्तुत किया किन्तु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब को रेकॉर्ड पर नहीं लेकर अपीलान्ट के दिनांक 20.07.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के उपरान्त भी आदेशिका में उसकी गैर हाजिरी लिखते हुए पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना एक साईक्लोस्टाईल आदेश पारित कर दिया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका में अपीलान्ट द्वारा समय चाहने का जो हवाला दिया है वह त्रुटिपूर्ण व सत्यता से परे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात को नजरअंदाज किया गया कि भू–संशोधन व भू–प्रबन्ध के दौरान विवादित आराजी में से रास्ता निकालने सम्बन्धी कार्यवाही को राज्य सरकार द्वारा स्थगित करते हुए मान्यता प्रदान नहीं की गई थी। फलस्वरूप राजस्व रेकॉर्ड में प्रश्नगत आराजी सिवायचक मानते हुए धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। वकील अपीलान्ट का आगे कथन है कि विवादित आराजी व अन्य आराजियात बाबत अपीलान्ट व अन्य खातेदारान द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का राजस्व वाद सहायक जिलाधीश मसूदा के समक्ष पेश किया गया है जो विचाराधीन है जिसकी प्रति जवाब के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब की प्रति रेकॉर्ड पर नहीं रखकर दावे की प्रति रेकॉर्ड पर रख ली एवं धारा 91 की कार्यवाही नहीं करने हेतु आश्वस्त किया गया। इस प्रकार विवादित आराजी बाबत घोषणा व रेकॉर्ड दुरूस्ती का नियमित राजस्व वाद विचाराधीन होते हुए कार्यवाही सबज्यूडिस होने से अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0बी0जे0 (13) 2006 पेज 366 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

अपीलान्ट द्वारा ग्राम बड़ा आसन स्थित सिवाचयक भूमि पर अनाधिकृत रूप से तारबन्दी कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के साथ ही गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से तारबन्दी कर अतिक्रमण किया गया है एवं विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है किन्तु यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 33/2022 (13/2013) अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विचाराधीन है। हम वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से सहमत हैं कि यदि विवादित आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन हो तो वाद के निर्णय तक समरी कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जाकर अपील नायब तहसीलदार, बिजयनगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलान्ट को उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद के निर्णय तक विवादित आराजी से बेदखल करने की कार्यवाही नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश दिनांक 20.07.2017 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद के निर्णयाधीन रहेगा।

आदेश आज दिनांक 15.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(राजेन्द्र सिंह)
अपर कलक्टर,
अजमेर

अपर कलक्टर अजमेर